□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्या□ □□□□□

□□ज□ □□□
अतारां□कित प्रश्न □ख□□: 1727
03 □□स□, 2021 □□ □□□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

स□□स्थ्य देखभाल संबंधी उद्योग म क्षमता निमाण

1727. श्र□□□□ □□□□ □□□ □□□:
श्र□ □□□□□ि□□ □□□:

क□□ स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्र□ यह बताने को कृपा करगे कि:

(क): क्या सरकार पंजाब सहित प्रत्येक राज्य म अस्पतालों को संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है;

(ख): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहों, तो इसके क्या कारण ह;

(ग): क्या सरकार और अधिक कोविड-19 रोगियों को अस्पतालों म जगह उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा अस्पतालों को क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है;

(घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहों, तो इसके क्या कारण ह;

(ड.): क्या सरकार अस्पतालों म बिस्तर आवंटित करने संबंधी घोटालों का संज्ञान ले रही है;

(च): यदि हां, तो को गई सुधारात्मक कारवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहों, तो इसके क्या कारण ह; और

(छ): यह सुनिश्चित करने के लिए कि अत्यधिक जरूरत वाले मरीजों को अस्पताल म बिस्तर आवंटित किए जाएं, अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

<u>□त्त□</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्र□ (□□. □□□□□ प्र□□□ □□□□)

(क) से (छ): ''जन स्वास्थ्य और अस्पताल'' राज्य का विषय होने के कारण जन स्वास्थ्य परिचया प्रणाली के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों को है जिसम जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को स्थापना/उन्नयन, अस्पतालों को संख्या म बढ़ोतरी और मौजूदा अस्पतालों को क्षमता म बढ़ोतरी तथा जरूरतमंद रोगियों के लिए बिस्तरों का आवंटन सुनिश्चित करना शामिल है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सावजनिक स्वास्थ्य परिचया केन्द्रों पर जन स्वास्थ्य परिचया प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्वास्थ्य परिचया प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए समय-समय पर अपेक्षित तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिसम कोविड-19 संबंधी जन स्वास्थ्य चुनौती का प्रबंधन शामिल है।

तदनुसार, महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए ''भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वस्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज'' के अंतगत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग प्रदान किया गया है जिसम अवसंरचना, ऑक्सीजन समर्थित बिस्तर, आइसोलेशन बिस्तर, आईसीयू एवं मानव संसाधन की बढ़ोतरी और औषधि की आपूर्ति आदि शामिल है। वित्त वष 2020-2021 के दौरान इस पैकेज के अंतगत राज्यों को 8147.28 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य परिचया कार्मिकों के बीमा के लिए 110.60 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए ह। अत: इस प्रकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 8257.88 करोड़ रूपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रूपए की राशि के लिए दिनांक 8.7.2021 को ''भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वस्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज- चरण-II'' (ईसीआरसी-चरण-II) नामक योजना को भी अनुमोदन प्रदान किया है। यह कुछ केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) घटकों वाली एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 की रोकथाम, उसका पता लगाना और निरन्तर खतरे का समाना करना और भारत म तैयारियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है।

ईसीआरपी-II के सीएसएस घटकों के तहत, देश के सभी जिलों म जिला बाल चिकित्सा इकाईयों (42 या 32 बिस्तरों वाली इकाईयां जिनम ऑक्सीजन लगे बिस्तर और आईसीयू बिस्तर शामिल ह) को स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य कद्रों म आईसीयू बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी सहायता दी जाती है। इसके अलावा, अधिकार प्राप्त समूह 1 की सिफारिशों पर विचार करते हुए ग्रामीण, शहर के बाहरी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों म अस्पताल के बिस्तरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उप स्वास्थ्य कद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य कद्रों म 6 बिस्तरों वाली इकाईयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कद्रों म 20 बिस्तरों वाली इकाईयों की स्थापना के लिए पूव निर्मित ढ़ांचे सृजित करने के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा, कोविड-19 के कारगर प्रबंधन के लिए आवश्यक अनिवाय दवाओं का बफर स्टॉक रखने के साथ-साथ कोविड प्रबंधन हेतु आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं के प्रावधान के लिए सहायता दी जाती है। जहां कही आवश्यक हो, वहां मैदानी अस्पताल (100 बिस्तरों या 50 बिस्तरों वाली इकाईयां) स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है।

उभरती हुई महामारी का सामना करने के लिए जन स्वास्थ्य परिचया प्रणाली तैयार करने हेतु राज्य/जिला स्तर पर महत्वपूण क्रियाकलापों के कायान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधन क्षमता के 15 प्रतिशत केन्द्रीय शेयर को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पहले ही जारी किया जा चुका है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित परामर्शिकाएं भेजी जाती है कि वे व्यापक योजना तैयार करे और अतिरिक्त अस्पतालों को पहचान करके, फील्ड अस्पताल सुविधा केन्द्रों को तैयारी करके, पर्याप्त ऑक्सीजन समर्थित बिस्तर सुनिश्चित करके, ऑक्सीजन आपूर्ति, आईसीयू बिस्तर तथा अपेक्षित एचआर को तैनाती, रोगियों के प्रबंधन के लिए चिकित्सकों, नर्सों का प्रशिक्षण एवं निगरानी, एम्बुलस सेवाओं को सुदृढ़ करने और बिस्तरों के आवंटन के लिए केन्द्रीयकृत कॉल सटर आधारित सेवाओं के माध्यम से, जहां कहीं आवश्यक है, बिस्तर संबंधी क्षमताओं म बढ़ोतरी के लिए कदम उठाए।

*****